न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा जिला-रीवा म0प्र0

निगरानी 1610-II-15

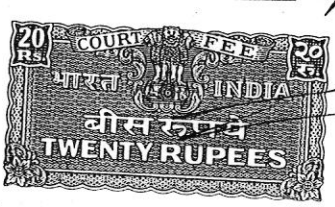

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

153
22-5-15

1- फूलमती चौधरी पत्नी श्री रामबिहारी चौधरी उम्र 44 वर्ष, निवासी गली नम्बर-1 चांदमारी रोड धवारी, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना म0प्र0

2- सियादुलारी पत्नी श्री रामखेलामन चौधरी उम्र 43 वर्ष, निवासी गली नम्बर-1 चांदमारी रोड धवारी, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना म0प्र0

---------आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम्

नत्थूलाल प्रजापति तनय भूरा प्रजापति उम्र 43 वर्ष, निवासी निवासी गली नम्बर-1 चांदमारी रोड धवारी, तहसील-रघुराजनगर, जिला-सतना म0प्र0

-------- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री. राजेश ... एड
द्वारा आज दिनांक ... को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा अपील प्रकरण क्रमांक-"182"/अपील/10-11 मुताबिक धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

8-6-15

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

2- यह कि आवेदक क्रमांक-1 द्वारा अपनी भूमि आराजी नम्बर 326/1क/2/1 रकवा 0.03-1/4 ए0 के सीमांकन का आवेदन पत्र दिया। सीमांकन करने पर आवेदक क्रमांक-2 की भूमि आराजी नम्बर-326/1क/2/2 रकवा 0.04ए0 का भी सीमांकन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-1610-II/15.... जिला .....सतना.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 29.4.15 से SDO रघुराजनगर के प्र.क्र. 171/अपील/07-08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज SDO का आदेश यथावत रखा गया है। इसके पूर्व तहसीलदार द्वारा गैरनिराकार नत्थूलाल के विरुद्ध धारा 250 MPLRC के अधीन बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसके विरुद्ध नत्थूलाल ने SDO के समक्ष अपील की थी, जिसमें SDO ने तहसीलदार का बेदखली का आदेश निरस्त कर, वादभूमि के पृथक-पृथक सीमांकन निरोधाभासी पाते हुए, पहले सीमांकन करने और फिर यदि बेजा कब्जा पाया जाता है तो धारा 250 की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था।	

[कृ. प. उ.

2

R-1610/दो/15 सतना

स्थान तथा दिनांक	फूलमती कार्यवाही तथा आदेश नत्थूलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगराकार अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि धारा 250 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में SDO द्वारा सीमांकन हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करना अनुचित था। गैरनिगराकार अधिवक्ता ने अपर आयुक्त एवं SDO के निर्णयों को उचित बताया। प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूँकि अवैध कब्जा हटाए जाने की कार्यवाही तभी सही अर्थ रख सकती है जब वह अवैध कब्जा सही प्रकार से पहचाना गया हो, जो कि सही सीमांकन के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। ऐसे में अवैध कब्जा हटाने के प्रकरण में सीमांकन के सही होने पर विचार करना, और ऐसे विचारोपरान्त न्यायपूर्ण निर्देश देना, विधि के विपरीत नहीं माना जा सकता। इसी के चलते अपर आयुक्त ने भी SDO का आदेश यथावत रखा है। अतः मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि 29.4.15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखता हूँ और यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75--फॉर्म्स—17-6-2015--5,000.